आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 9-B-11-17/2022/150(9)B **दिनांक -** 04-May-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 विस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, पैरीफेरल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 05-निर्माण **State Scheme**	15340	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	1,636,740,438.00 रुपये एक अरब तीरसठ करोड सड़सठ लाख चालीस हजार चार सौ अडतीस

State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674)

Centeral Scheme : NA

योग: 1,636,740,438.00

रुपये एक अरब तीरसठ करोड सड़सठ लाख चालीस हजार चार सौ अडतीस

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111045010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹1,63,67,40,438.00 (15340)	₹1,63,67,40,438.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,63,67,40,438.00 (एक अरब तीरसठ करोड सड़सठ लाख चालीस हजार चार सौ अडतीस **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं०–9/बजट/11–17/2022– 150(9)ब /स्वा0

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक : 04/05/26

विषयः वित्तीय वर्ष–2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत बोकारो जिला में 500 शय्या वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन का निर्माण, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, साकची, जमशेदपुर एवं इससे संबंद्ध 500 शय्यावाले नये अस्पताल भवन का निर्माण एवं दुमका मेडिकल कॉलेज हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण की योजना के लिए कुल 1,63,67,40,438/–(एक अरब तिरसठ करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार चार सौ अड़तीस) रुपए मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–171(6)ब दिनांक–14.12.2017, पत्रांक–588(9)ब दिनांक–28.12.23, शुद्धि पत्र ज्ञापांक–98(9) दिनांक–29.02.2024 एवं स्वीकृत्यादेश सं0–131(9)ब दिनांक–20.03.2026 के क्रम में राज्य योजना अन्तर्गत बोकारो जिला में 500 शय्या वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन का निर्माण, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, साकची, जमशेदपुर एवं इससे संबंद्ध 500 शय्यावाले नये अस्पताल भवन का निर्माण एवं दुमका मेडिकल कॉलेज हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण की योजना के लिए कुल 1,63,67,40,438/–(एक अरब तिरसठ करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार चार सौ अड़तीस) रुपए मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

योजना का नाम	मूल प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं0 एवं तिथि	योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति /संशोधित व्यय की स्वीकृति एवं राशि	अब तक आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वर्त्तमान आवंटन
बोकारो जिला में 500 शय्या वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन का निर्माण	588(9)ब 28.12.23	6,88,49,42,200	–	3,00,83,00,000	1,00,00,00,000
एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, साकची, जमशेदपुर एवं इससे संबंद्ध 500 शय्यावाले नये अस्पताल भवन का निर्माण	632(9)ब 19.12.22	434,46,04,700	–	2,21,93,60,300	50,00,00,000
दुमका मेडिकल कॉलेज, हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण	171(6)ब 14.12.17	4,84,58,60,400	131(9)ब 20.03.26 5,76,12,37,601	5,02,44,97,163	13,67,40,438
				कुल	1,63,67,40,438

2. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त राज्यादेश द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आधार पर योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार कराया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे जो राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियॉ में करेंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

5. कार्य में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी बिना राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।

6. राज्य येाजना अन्तर्गत योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष –4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110– अस्पताल तथा औषधालय– 45– मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पताले– आधारभूत संरचना–01– मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्त्ति आदि की खरीद–05– निर्माण –45– निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 42100111045010545) वित्तीय वर्ष–2026–27 में उपबंधित राशि से होगा।

7. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य स्वीकृत राशि के अनुरुप पूर्ण राशि आवंटन के छह माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो ।

8. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम–473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन भवन निर्माण निगम के संबंधित अभियंता का दायित्त्व होगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का ऑनलाईन प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

10. कार्य की सही गुणवत्ता के लिये भवन निर्माण निगम के संबंधित अभियंता जिम्मेवार होंगे। अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।

11. कार्य की सही गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से विभाग द्वारा चयनित Third Party Quality Evaluation एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रुप से प्राप्त किया जाएगा।

12. विगत वित्तीय वर्षो में इस योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरणी कोषागार को समर्पित करने के उपरान्त ही इस राशि की निकासी की जाएगी।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्याः– 9/बजट/11–17/2022 –. 150(9) व राँची, दिनांकः

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पताल, झारखण्ड/संबंधित सिविल सर्जन/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य/विभागीय पी0एम0यू0 कोषांग/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।